परिपत्र संख्याः 33/2013

देवराज नागर
आई.पी.एस.

# पुलिस महानिदेशक
## उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांकः लखनऊः जुलाई 5 , 2013

**विषयः अपराधियों के विरूद्व दबिश व तलाशी के सम्बन्ध में बरती जाने वाली सावधानियां – उचित रण कौशल।**

प्रिय महोदय,

अभी हाल में अपराधियों के विरूद्व कार्यवाही करते समय उ0प्र0 पुलिस के एक उपनिरीक्षक एवं 3 आरक्षी विभिन्न घटनाओं में शहीद हो गये। इसमें से दो पुलिस अधिकारी वाहन की तलाशी लेते समय तथा एक पुलिस अधिकारी अपराधी को गिरफ्तार कर गांव से बाहर निकलते समय गोली लगने से शहीद हुए। एक आरक्षी चालक पर अपराधी ने उस वक्त गोली चलाई जब पुलिस पार्टी ने एक वारण्टी को गिरफ्तार कर आरक्षी चालक व एक हमराह आरक्षी के साथ सरकारी वाहन में बैठा दिया तथा दूसरी जगह दबिश देने के लिए चले गये। ऐसी दशा में एक अपराधी ने आरक्षी चालक पर फायर कर दिया जिससे उसकी जान चली गयी।

जहां इन पुलिस अधिकारियों की मृत्यु पुलिस परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, वहीं दूसरी ओर ऐसी घटनाओं से पुलिस के इकबाल व मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है। इस प्रकार की घटनाओं से अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के हौसले और भी अधिक बुलन्द हो जाते है, जबकि पुलिस कार्यवाही का उद्देश्य अपराधियों के मन में अपराधों और इस तरह की गतिविधियों के प्रति निवारक प्रभाव पैदा करना और उन्हें ऐसा करने से निरूत्साहित करना होता है।

यदि हम इन घटनाओं का गम्भीर विश्लेषण करें तो पायेंगें कि कही न कहीं हमारे रण कौशल (Tactics) और पुलिस व्यवसायिकता (police professionalism) में कुछ न कुछ कमी रही है। अतः इस परिपत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान दबिश, वाहन व व्यक्ति की तलाशी, नाकाबंदी व वाहन से पीछा कर अपराधियों को गिरफ्तार करने के Tactics के संबंध में अपनाए जाने वाले मुख्य बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

**आपरेशन के लिए मानसिक तैयारी**

ऐसी घटनाओं से जूझने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। इसके लिए आप उसे प्रशिक्षित एवं संवेदनशील बनाये ताकि वह प्रत्येक आपरेशन के लिए मानसिक अनुकूलन (mental conditioning) करें और मस्तिष्क को तैयार (mental preparation) रखें। हमारा मस्तिष्क विषम परिस्थितियों में उसी तरह से कार्य करता है जैसा कि हम उसे उन परिस्थितियों के आने से पहले मानसिक रूप से तैयार और condition करते हैं। अगर इस प्रकार मस्तिष्क को तैयार नही किया जाता है तो पुलिसजनों का मस्तिष्क अविलम्ब समुचित और प्रभावी जवाबी कार्यवाही करने हेतु असमर्थ होता है, और जब यह कार्यवाही कुछ क्षणों

में तुरन्त करनी होती है तो वह उसमें सक्षम नही हो पाता है जिससे उसकी क्षति भी हो सकती है। इस कारण आवश्यक है कि हर कर्मी ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए समुचित मानसिक तैयारी करे जिसके लिए निम्नलिखित बिन्दु महत्वपूर्ण हैं:–

(a) चौकन्नापन (Alertness)

- लक्ष्य अथवा संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु के समीप पहुंचते समय यह संदेह अवश्य करें कि वह आपके ऊपर हमला कर सकता है। अतः जहां आपको उस व्यक्ति को आदेश देते वक्त शिष्ट रहना चाहिए वहीं दिमाग में यह संदेह अवश्य रखें कि उसके द्वारा आप पर हमला किया जा सकता है। अतः आदेश शिष्ट, परन्तु अविचल (firm) होना चाहिए। उस समय आपको एकदम सतर्क होना चाहिए।
- किसी भी असामान्य हरकत व आवाज के प्रति सजग रहें। यह भी ध्यान में रखें कि जो पूर्वानुमान कर सकता है, वही सुरक्षित रहता है।
- हमेंशा इस ओर सजग रहें कि आपके आसपास, विशेषकर पीछे, कौन है।

(b) निर्णायकता (Decisiveness)

- संदिग्ध व्यक्ति,दुश्मन या लक्ष्य का अन्तर करना और पहचानना (Target discrimination and identification) : विभिन्न लोगों के बीच संदिग्ध का अन्तर ज्ञात कर उसे पहचानना एक कला है। जिस व्यक्ति के पास असलहा/चाकू इत्यादि हो या गलत हरकत कर रहा हो वह संदिग्ध है। इसका निरंतर अभ्यास किया जाता रहे।
- उपरोक्त निर्णायकता (decisiveness) के लिए सामान्य समय में आपरेशन की विभिन्न परिस्थितियों की कल्पना कर सोचते रहें कि यदि ऐसी स्थिति होगी तो आप क्या करेगें। ऐसा करने से आपरेशन के समय जल्द निर्णय लेने में आसानी होती है।

(c ) आक्रमकता (Aggressiveness)

- त्वरित कार्यवाही से सदिग्ध पर हावी होकर पराजित करने का प्रयास करना चाहिए। अतः अपना मनोबल ऊंचा रखते हुए अपराधी को भौचक्का करें। यह एक आकस्मिक आक्रमण के रूप में होता है और यह सहसाघात प्रभाव (shock effect) के सिद्वान्त पर कार्य करता है और विशेषतः एन्टी नस्कल, एन्टी–डकैती और एन्टी टेरेरिस्ट आपरेशन्स में और दुर्दान्त अपराधियों के विरूद्व कार्यवाही में अत्यन्त प्रासंगिक है।

(d) आत्मसंयम (Self control)

- किसी भी दशा में हड़बड़ाहट नही होनी. चाहिए।यह तभी संभव है जब पुलिस कर्मी अच्छा प्रशिक्षित हो एवं सफलता पाने की इच्छाशक्ति रखता हो और वह पूर्णतः शान्त, संयत,स्थिर और आत्म–नियन्त्रित रहे।

(e) संकल्प (Determination)

- कोई भी असलहाधारी या ऐसा व्यक्ति, जो आपके टोकने पर भाग रहा हो, को संभावित ख़तरा समझें। अतः पूरी इच्छाशक्ति के साथ अपनी आत्म रक्षा के लिए सजग होते हुए कार्यवाही करें। हमारी मानसिक तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम संभावित खतरे को भाँप कर स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण कर पाएं। ऐसी स्थितियों में हम सकारात्मक रहें और स्वयं को यह संदेश देते रहे कि हमें विजय प्राप्त करनी है।

**सूचना एवं अभिसूचना संकलन**

कोई भी कार्यवाही बिना विस्तृत योजना के नही की जानी चाहिए। अतः आपरेशन करने से पूर्व यह आवश्यक है कि लक्ष्य के बारे में यथासंभव जितनी जानकारी हो सके, उसे संकलित कर लिया जाय। इसमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जायः–

- अपराधियों की जानकारी – उनकी संख्या, शस्त्र के प्रकार, उनके द्वारा पूर्व में पुलिस कार्यवाही के दौरान किये गये कृत्य, जैसे वे आत्मसमर्पण कर देते हैं, या भागने का प्रयास करते हैं या मुकाबला करते हैं।
- सम्बन्धित इलाके और अपराधी के छिपने के स्थान की जानकारी जिसमें बदमाशों द्वारा अपराध करने या भागने हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले उस इलाके के समस्त सम्भावित कच्चे/पक्के मार्गों की जानकारी और भौगोलिक स्थिति, गांव/मुहल्ले में छिपने के स्थान मुख्य हैं।
- अपराधी के छिपने के स्थान के आसपास रहने वाले मुहल्ला/ग्रामवासियों के बारे में जानकारी, जैसे वे पुलिस की मदद करते हैं, अपराधी की मदद में पुलिस से मुजाहमत करते हैं, इत्यादि।

यदि पर्याप्त समय न हो तो प्रयास यह करना चाहिए कि जो भी न्यूनतम जानकारी उपलब्ध हो सके, जैसे अपराधियों की संख्या, शस्त्रों के प्रकार, आदि, उसके आधार पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ कार्यवाही की जाय।

**सामान्य रणकौशल (Basic Tactics)**

सभी प्रकार के अभियान में रणकौशल (Tactics) के निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनिवार्यतः ध्यान देना चाहिएः–

1. तलाशी, दबिश या नाकाबंदी के समय हरदम सम्पूरक सहयोगी या पारस्परिक जोड़े (Buddy pair) के सिद्वान्त को ध्यान में रखना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि कभी भी अकेले कोई कार्यवाही नही होनी चाहिए। दो पुलिस कर्मी एक जोड़े के रूप में कार्यवाही करते हैं। जब भी एक पुलिस कर्मी तलाशी ले रहा हो तो उसके दूसरे साथी का दायित्व होना चाहिए कि वह 5–6 मीटर दूर खड़े होकर उसे cover करे। इसके लिए कोई भी छोटा असलहा, जैसे पिस्टल, रिवाल्वर, कारबाइन, तैयारी हालत में संदिग्ध व्यक्ति की तरफ तनी होनी चाहिए ताकि उसके द्वारा कोई भी गलत हरकत करने पर उसे अंकुश में लिया जा सके।

2. तलाशी व नाकेबंदी के समय असलहे को भरी हुई (loaded) पोजीशन में रखना चाहिए। यह ध्यान में रहे कि उसकी सेफ्टी कैच (safety catch) उपर है। अभ्यास इस प्रकार से होना चाहिए कि फायरिंग करने वाले हांथ के अंगूठे से सेफ्टी कैच (safety catch) गिराकर तत्काल फायर

किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि असलहों की नियमित रूप से सफाई व चेकिंग की जाती रहे ताकि समय पर वह कारगर रहें।

3. दोनों आंख खोलकर अचूक निशाना लगाने का अभ्यास करना चाहिए। साथ ही साथ बिना शिस्त लिये दिशा के बोध या ज्ञान से (sense of direction) भी अच्छा निशाना लगाने की महारत होनी चाहिए। दोनों आंख खोलकर फ़ायर करने की आवश्यकता इसलिए है ताकि अधिक क्षेत्र पर नज़र बनी रहे और आसपास के संकट को देखा जा सके।

4. थानों पर डियूटी बदलती रहती है, परन्तु प्रयास यही होनी चाहिए कि सम्पूरक सहयोगी (Buddy pair) की तरह कार्य कर रहे दोनों कर्मी निरन्तर एक साथ डियूटी दें ताकि वे एक दूसरे की ताकत व कमजोरी के बारे में जानते रहें।

5. प्रत्येक थाने में बुलेट प्रूफ जैकेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। किसी भी आपरेशन करते समय बुलेट प्रूफ जैकेट व पटका का अवश्य धारण किया जाए।

6. जबतक कि कोई विशेष कारण न हो प्रत्येक आपरेशन वर्दी में किया जाना चाहिए ताकि पुलिसकर्मी पहचाना जा सके और क्रास फायरिंग की सम्भावना भी न हो। सादे वर्दी में कार्यवाही करने पर अपराधी या उसके सहयोग में निकले गांव/मोहल्लावासी पुलिस पार्टी पर हमला करते समय आत्मरक्षा के सिद्वान्त के आधार पर अपना कानूनी बचाव कर सकते हैं।

7. वाकी–टाकी सेट इत्यादि के माध्यम से हरदम रिज़र्व या backup टीम के साथ सम्पर्क में रहना चाहिए। कम्युनिकेशन सेट के माध्यम से जिला/नगर नियंत्रण कक्ष के संपर्क में भी रहना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर मदद मिल सकें। हमारे द्वारा अधिकांशतः अपराधी/संदिग्ध व्यक्ति का पीछा करने (hot chase) में वायरलेस सेट का प्रयोग नही किया जाता है, जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

8. कोई भी कार्यवाही हड़बड़ी या भागादौड़ी में नही होनी चाहिए। हर एक हरकत नपी–तुली, नियंत्रित और त्वरित होनी चाहिए।

9. कोई भी आपरेशन करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल अवश्य रहे। कम पुलिस बल के साथ कार्यवाही करने में अपराधी भाग सकता है और स्वयं का नुकसान होने की भी सम्भावना रहती है। यदि अपराधी के कहीं छुपे होने की सूचना हो तो उसपर तब तक नजर रखी जाय जब तक कार्यवाही हेतु पर्याप्त पुलिस बल न पहुंच जाय। इसी प्रकार जब तक पर्याप्त बल न हो तब तक safe distance से बदमाश का पीछा किया जाना चाहिए और साथ ही साथ अतिरिक्त पुलिस बल के लिए फोन या वायरलेस सेट के माध्यम से तुरन्त सूचना दी जानी चाहिए। फिर जिस दिशा में बदमाश का जाना ज्ञात होता है उससे संबंधित थानों को अविलम्ब सूचित करते हुए बदमाश को चारों तरफ से घेरने का पूर्ण प्रयास होना चाहिए जिससे कि वह न तो भागने में ही सफल हो पाये और न ही पुलिस दल पर आक्रमण कर कोई क्षति कर पाये।

10. किसी भी अभियान को समाप्त कर जब वापसी की जाय तो उस समय भी सजग रहना चाहिए। अपनी टुकड़ी के पिछले सिरे का भी ध्यान रखे और उसका बचाव करे (Cover your tail)। इसका तात्पर्य है कि गांव/मोहल्ले से आपरेशन से वापसी के दौरान पुलिस पार्टी को झुंड (bunch) में नही निकलना चाहिए। दोनों छोर (flanks) और पीछे की पार्टी (rear party) में कर्मी सजगता से अपने ऊपर होने वाले संभावित खतरे पर
नजर रखें। असलहा तैयार (ready) पोजीशन में रहे और बाहर निकलने के उपरान्त ही उन्हें खाली किया जाए। यदि आवश्यकता हो तो वाहन को निकट बुलाकर उसमें सजगता से बैठकर निकला जा सकता है।

11. रात्रि के अभियान के समय विशेष ध्यान दिया जाय कि हर चमकने वाली वस्तु, जैसे कंधे पर सितारे आदि, को मिट्टी से रगड़ लिया जाय ताकि वह किसी भी रोशनी में न चमके। रात्रि में कभी भी चीजों को लगातार घूरकर नही देखना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर कुछ देर बाद वे चीजें हिलती–डुलती दिखाई देने लगती हैं। अंधेरे में आंख के कोने से अच्छा दिखाई पड़ता है, न कि सीधी नजर से। चलते व लेटते वक्त ऐसे हरकत करें ताकि क्षितिज पर शस्त्रु आपको न देख सके।

व्यक्ति, मृतक और वाहन की चेकिंग, वाहन को पीछे से रोकने की कार्यवाही, नाकाबंदी एवं दबिश के दौरान जिन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान देना है वे **परिशिष्ट में संलग्न** हैं।

परिशिष्ट में बताए गये बिन्दु इस आशय से चिन्हित किये जा रहे हैं कि आप अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इसके बारे में भलीभांति परिचित करायेंगें और सी0ई0आर0 (CER) के माध्यम से इन बिन्दुओं पर अभ्यास कराते रहेगें। उचित होगा कि कुछ कर्मियों की प्रदर्शन टीम तैयार कराकर प्रत्येक थाने पर जाकर इसका प्रदर्शन किया जाय और थानाध्यक्ष के पर्यवेक्षण में समस्त कर्मियों को रण कौशल (tactics) का प्रशिक्षण कराया जाय। यह कहना अनुचित न होगा कि इन्हें रण कौशल (tactics) में प्रशिक्षित कराना व अधीनस्थ कर्मियों की मानसिकता बदलवाना सरल कार्य न होगा। यह तभी संभव है जब आप पूरी इच्छा शक्ति से इन बिन्दुओं पर अधीनस्थ अधिकारियों को प्रशिक्षित करायेंगें और उन्हें इनकी उपयोगिता के बारे में अवगत करायेंगें। बहुत आवश्यक है कि हमें अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को बताना होगा कि लापरवाहीपूर्वक कार्यवाही करना पुरूषार्थ नही दिखाता है, परन्तु ऐसा करना बेवकूफी है। जब सतर्कता से उचित रण कौशल (tactics) के साथ हम कार्यवाही करेंगें तब ही हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही कर सकेगें। जन सामान्य में भी हमारी कार्यवाही की प्रशंसा की जायेगी क्योकि वे देखेंगें कि हम लोग अपने कार्य को व्यवसायिक दक्षता (professionalism) तरीके से कर रहे हैं।

मैं यह भी चाहूंगा कि आप अपने अधीनस्थों को अवगत करायें कि किसी भी आपरेशन में हुई गलतियों को मानने में कोई हिचक नही होनी चाहिए। इसके लिए कार्यवाही के बाद उनकी डीब्रीफिंग(Debriefing) होनी चाहिए। हर आपरेशन्स व कार्यवाही का सिंद्दावलोकन कर उन्हें समुचित निर्देश देने चाहिये, ताकि वे गलतियों से सीख ले सकें और उनकी पुनरावृत्ति न करें और साथ ही साथ कामयाबी के सम्बन्ध में उन्हें शाबासी देकर प्रोस्साहित करें।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपनी दिनचर्या में लगातार कई दिनों/महीनों तक एक ही तरह की ड्यूटियां देते हुए और उसमें कोई चुनौती न पाने की दशा में कर्मचारियों में उन डयूटी के प्रति उदासीनता, लापरवाही या असावधानी (Casualness) आ जाती है, जो कि विषम परिस्थितियों या कठिन और चुनौतीपूर्ण डयूटी यथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रहरी डयूटी, गश्त डयूटी आदि मे कर्मचारी के लिये प्राणघातक भी सिद्व हो सकती है। अपने अधीनस्थों को इस सम्बन्ध में सतर्क रहने हेतु लगातार संवदेनशील और प्रबुद्व (Sensitize) और प्रोत्साहित करते रहे।

इसके अतिरिक्त आप लोग यह भी देख लें कि विभिन्न प्रकार की डयूटयिों, कार्यवाहियों और परिस्थितियों के लिए सुसंगत एस.ओ.पी.(Standard Operating Procedures) बनी हो और जहॉ पहले से बनी है, वे अद्याविधिक हो। इन एस.ओ.पी. के बारे में कर्मचारियों को

बार–बार बताया जाय और उनका पालन सुनिश्चित कराया जाए। विभिन्न परिस्थितियों/कार्यवाहियों/ डयूटियों यथा एन्टी नक्सल ड्यूटी, एन्टी डकैती ड्यूटी और साम्प्रदायकि ड्यूटी एवं भीड़ नियंत्रण करने से सम्बन्धित की अलग–अलग SOPs होनी चाहिए तथा ऐसी SOPs अलग–अलग जगह, थानों, detachments आदि में रखी जानी चाहिए। कुछ मानक SOPs उपलब्ध है और शेष ज़िलों में परिस्थिति के अनुरूप बनायी जाएँ।

मैं अपेक्षा करता हूं कि उपरोक्त बिन्दुओं का कड़ाई से पालन कर हम अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही कर पायेगें।

संलग्नक: **परिशिष्ट**

भवदीय,

(देवराज नागर)
5-7-13

**समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक,**
**जनपद प्रभारी/जीआरपी,**
**उत्तर प्रदेश।**

**प्रतिलिपि:** निम्नांकित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. पुलिस महानिदेशक, जीआरपी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

6/7/2013

# परिशिष्टि

## व्यक्ति की चेकिंग

व्यक्ति की चेकिंग के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाय:–

1. यथा संभव चेकिंग Buddy pair के रूप में ही की जाय। तलाशी लेने वाले साथी को दूसरा पुलिसकर्मी पूरी तरह से कवर करे।

2. संदिग्ध व्यक्ति की सामने से तलाशी नही लेनी चाहिए। तलाशी उसके पीछे खड़े होकर लेनी चाहिए। आगे से तलाशी लेने से सम्भव है कि संदिग्ध व्यक्ति आपको दबोच ले।

3. तलाशी लेते वक्त संदिग्ध को निर्देशित करें कि वह अपने हाथ फैलाकर किसी दीवार अथवा वाहन पर रखे। उसके दोनो पैर इतने खुलवा दिये जायें ताकि उसका संतुलन अस्थिर रहे। यदि संदिग्ध व्यक्ति की हरकत से ऐसा प्रतीत होता है कि वह कोई अपराधी हो सकता है तो उचित होगा कि उसे घुटने के बल बैठाया जाय और उसे निर्देशित किया जाय कि वह अपने दोनों हांथ पीछे सर पर लगाये और दोनों पैरो को एक–के–ऊपर–एक रखे। ऐसा करने से आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसके कोई अनावश्यक हरकत करने पर आप उसे तुरन्त नियंत्रित कर पायेंगें।

4. संदिग्ध की तलाशी लेने से पहले त्वरित व प्राथमिक तलाशी नजरो से लेनी चाहिए। सर्वप्रथम कमर की तलाशी लें क्योंकि अधिकतर असलहा वहीं रखा जाता है। इसके उपरान्त संदिग्ध की तलाशी सर से पैर तक पूरी तरह ली लाय। तलाशी लेते वक्त हाथ पूरे शरीर पर फिराया जाय न कि थपथपाया जाय। ऐसा करने से कोई संदिग्ध वस्तु के छूटने की संभावना नही रहेगी।

5. तलाशी लेते वक्त कभी भी खुद झुकना नही चाहिए। झुकने से संदिग्ध आपको गिरा सकता है। आवश्यकता पड़े तो यह कार्य पंजों पर बैठकर होना चाहिए। तलाशी लेते वक्त सुनिश्चित कर लें कि स्वयं असंतुलित न हो जाये।

6. यदि एक से अधिक व्यक्ति की तलाशी लेनी है तो पहले व्यक्ति की तलाशी लेने के उपरान्त उस व्यक्ति को एक तरफ इस प्रकार से खड़ा करना चाहिए ताकि उसकी पीठ आपकी तरफ हो और वह अपने हांथ लगातार पीछे रखे। ऐसा करने से संदिग्ध व्यक्ति आपकी हरकत को

नही देख सकता है और न ही संदिग्ध व्यक्ति आपस में आंखों के इशारे से कोई योजना बना सकते हैं।

7. तलाशी लेने के बाद ही संदिग्ध व्यक्तियों से उनकी पहचान व शिनाख्त के संबंध में पूंछतांछ करनी चाहिए। किसी भी दशा में बिना तलशी लिये पहचान के विभिन्न दस्तावेज नही देखने चाहिए।

## मृतक की तलाशी

यदि मुठभेड़ के बाद किसी अपराधी के मृत शरीर की तलाशी लेनी हो तो इस कार्यवाही को भी अत्यन्त सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। जबतक यह सुनिश्चित न हो जाय कि वह व्यक्ति प्रथमदृष्टया मर चुका है तबतक पूरी सावधानी से उसकी तलाशी लेनी चाहिए। उसके लिए निम्नलिखित कार्यवाही करनी चाहिएः–

1. जो व्यक्ति तलाशी ले रहा हो उसका Buddy pair उसको कवर (cover) करे। सहयोगी कर्मी तैयारी हालत (loaded position) में शस्त्र को मृतक की ओर ताने रहे ताकि अनुचित हरकत होने पर कार्यवाही की जा सके। मृतक के पास पड़े असलहे को पैरो से दूर कर दिए जायें। व्यक्ति के दोनों हांथ फैला दिया जाय।

2. यदि मृतक अपनी पीठ के बल पड़ा है तो उसके सर की तरफ बैठकर उसकी सांस व नवज देखकर सुनिश्चित करना चाहिए कि वह जिंदा हैं या मृत। इसी प्रकार यदि वह पेट पर पड़ा है तो वह कार्यवाही उसके पीठ पर बैठकर की जाए।

3. यदि व्यक्ति जिंदा है तो उसके शरीर की पूरी तलाशी लेने के उपरान्त अतिशीघ्र उपचार हेतु उसे अस्पताल भेजा जाए।

4. यदि व्यक्ति प्रथम दृष्टया मृत प्रतीत हो रहा है तो भी उसके शरीर की तलाशी लेनी चाहिए।

5. नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मृतक की तलाशी लेते वक्त ध्यान में रखा जाय कि शरीर को हिलाने से पूर्व उसे किसी रस्सी इत्यादि से खींचकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उसके नीचे कोई booby trap तो नही है।

## वाहन चेकिंग

वाहन को रोककर चेकिंग करने के लिए निम्नलिखित Tactical बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाय:–

1. स्वयं को किसी आड़ में रखें और वाहन में अन्दर बैठे लोगों पर शस्त्र तैयारी हालत (ready position ) में रखते हुए निम्न कार्यवाही करें।

2. वाहन को रोकवाने के बाद ड्राइवर व गाड़ी में बैठे अन्य व्यक्तियों को अपने हांथ सामने स्टेयरिंग व्हील , dash board या सामने की सीट में इस प्रकार से रखवाने के लिए कहें ताकि सभी के हांथ स्पष्ट दिखाई दें। साथ ही साथ गाड़ी के सभी दरवाजो को खुलवाने के लिए कहा जाय। ऐसा करने से आपको कोई भी गलत हरकत स्पष्ट दिख जायेगी।

3. सबसे पहले वाहन के ड्राइवर को वाहन से बाहर निकलने के लिए कहा जाय और गाड़ी की चाभी को निकालकर बाहर आपकी तरफ फेकने के लिए निर्देशित किया जाय। चेकिंग समाप्त होने तक यह चाभी एक कर्मी अपने पास रखेगा।

4. वाहन चालक को पांच कदम अपनी लरफ चलवायें। उसके बाद उपरोक्त बताये गये तरीके से एक कर्मी वाहन चालक को चेक करें । इस दौरान दूसरा साथी buddy pair के तरीके से पहले साथी को कवर (cover) करेंगा और तीसरा साथी तैयारी हालत (ready position) में वाहन के अंदर अन्य यात्रियों पर निगरानी रखेगा ताकि कोई अनुचित कार्यवाही होने पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

5. एक व्यक्ति की चेकिंग होने के बाद एक–एक कर अन्य व्यक्तियों को चेकिंग हेतु उतारा जाय।

6. हर व्यक्ति को चेकिंग के उपरान्त उसने आपकी तरफ पीठ कर व हाथ पीछे रख कर अलग–अलग खड़ा किया जाता रहे। इन पर भी निगरानी रखी जाय।

7. समस्त व्यक्तियों की चेकिंग के उपरान्त दो व्यक्ति अपने शस्त्रों को तैयारी हालत (ready position) में रखते हुए सावधानीपूर्वक पूरी गाड़ी को चेक करें कि इसमें कोई अन्य व्यक्ति तो नही छुपा हुआ है। यह करते समय buddy pair tactics का अवश्य ध्यान रखा जाय।

8. यदि वाहन में महिलाएं हों तो उनकी चेकिंग महिला कर्मियों द्वारा ही की जाय। परन्तु किन्हीं कारणों से यदि महिला कर्मी उपलब्ध नही हैं तो महिलाओं के हैण्ड बैग इत्यादि की चेकिंग अवश्य कर ली जाय।

9. उपरोक्त चेकिंग की कार्यवाही करते समय जो पुलिस कर्मी कवर (cover) दे रहा है वह इन व्यक्तियों को, जिनकी तलाशी ली जा रही है, शिष्ट परन्तु स्पष्ट निर्देश देगा। यह अवश्य ध्यान रखा जाय कि तलाशी होने के उपरान्त ही व्यक्तियों के पहचान के प्रयास किये जायें।

10. यदि यह चेकिंग रात्रि में करनी है तो सबसे पहले गाड़ी के हेड़ लाइट बंद करवाने के लिए निर्देशित करें और उसके बाद ड्राइवर से वाहन की केबिन लाइट जलवाकर उपरोक्तानुसार चेकिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

**<u>वाहन का पीछा कर रोकने की कार्यवाही</u>**

यदि किसी वाहन का पीछा कर उसे रोकवाने की कार्यवाही करनी हो तो निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जायः--

1 साइरन का प्रयोग कर आगे वाले वाहन को रूकने का इशारा करें। शासनादेश के अनुसार सभी अधिकारियों व थानाध्यक्ष के वाहन पर साइरन लगाने का प्राविधान है।

2. यदि वाहन का ड्राइवर गाड़ी को रोकता है तो पुलिस वाहन को इस प्रकार से रोका जाय कि पुलिसकर्मी तत्काल निकल कर उस गाड़ी को घेर सके और उतरते वक्त वाहन में बैठे सभी व्यक्तियों पर स्पष्ट निगाह रख सकें। कभी भी पुलिस गाड़ी को रूकी हुए वाहन के बगल में न खड़ा किया जाय।

3. उपरोक्त कार्यवाही करते वक्त यह मानकर चलें कि गाड़ी के अंदर से आप पर हमला हो सकता है। अतः पुलिसकर्मी अपने वाहन से उतरकर वाहन की आड़ में कवर (cover) लेकर अपने असलहों को तैयारी हालत (ready position) में रखते हुए वाहन चालक एवं अन्य को स्पष्ट निर्देश, जैसा वाहन तलाशी के अंतर्गत बिन्दुओं में दर्शाया गया है, देगें।

4. यदि साइरन बजाकर इशारा करने से वाहन नही रूकता है तो वाहन का पीछा करते रहना चाहिए। जिला नियंत्रण कक्ष/ नगर नियंत्रण कक्ष के माध्यम से रास्ते में पड़ने वाले समस्त पुलिस मोबाइल, थाना/चौकी को सूचित किया जाए कि वे बैरियर गिराकर अथवा

किसी अन्य प्रकार से, जैसे वाहनों को रोकर ज़ाम लगाकर, ड्रम, पत्थरों इत्यादि से रास्ते को ब्लाक करवायें और सावधानीपूर्वक वाहन को रोकवाने का प्रयास करें। नाकेबंदी के सिद्वान्त का पालन किया जाय। अन्य पुलिस मोबाइल का यह दायित्व होगा कि वह भागती गाड़ी का location लेकर उसे घेरने का प्रयास करें। जैसा पूर्व में बताया गया है, गाड़ी का पीछा safe distance रखकर करते रहना चाहिए जब तक नाके पर या अन्य मोबाइल द्वारा घेरकर उसे रोक न लिया जाए।

5. कभी भी चलते हुए वाहन पर गोली चलाकर रोकने का प्रयास न किया जाय।

6. वाहन का पीछा करते समय सभी कर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट धारण कर लें।

**नाकाबंदी**

1. नाकाबंदी करते वक्त यह ध्यान में रखा जाय कि नाका ऐसे स्थान पर लगे जिसको दूर से देखकर अपराधी अपना वाहन मोड़कर भाग न सके। अतः नाका किसी मोड़ के 50 मीटर में लगाना उचित होगा।

2. यह भी ध्यान में रखा जाय कि नाके के दोनों तरफ लगभग 100 मीटर की दूरी पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए क्यूआरटी मय वाहन के मौजूद रहे जो कि इस वाहन के नाका तोड़कर भागने या नाका से पहले मुड़कर भागने का प्रयास विफल कर सके। इस कार्यवाही को करने के लिए उचित होगा कि इन दोनों stop पार्टी के पास लोहे के क़ीलों की लड़ी (collapsable spikes) उपलब्ध रहे जिसे तुरन्त खींचकर वाहन को रोका जा सके।

3. नाके पर गाड़ी के रोकने पर सावधानीपूर्वक, जैसा कि वाहन चेकिंग विषय में दर्शाया गया है, चेकिंग की जाय। कवर (Cover) पार्टी अपनी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और मोर्चा (sand bag) का इस्तेमाल करें।

**दबिश**

1. सावधानी के उपरोक्त दर्शाये गये विभिन्न बिन्दुओं को दविश के दौरान ध्यान में रखा जाय। दविश देते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि दबिश टीम (raid party) की सहायता के लिए कवर टीम (cover party) अवश्य आवश्यकतानुसार लगायी जाय। अपराधियों के भागने के स्थान पर रोकने की टीम (stop party) भी जरूर रहे।

2. कमरे में घुसने के तत्काल बाद प्रवेश द्वार के पीछे और उस कक्ष के कोनों को तत्काल अवश्य चेक कर लें क्योंकि कई बार अपराधी आपके कक्ष में प्रवेश करने पर पीछे से वार करते हैं।

3. कमरे में घुसकर तत्काल प्रवेश द्वार से हट जाना चाहिए क्योंकि अपराधी द्वारा प्रवेश द्वार पर फायर करने की प्रबल संभावना रहती है।

4. प्रत्येक कमरे की तलाशी के समय हर कर्मी तैयारी हालत (ready position) में रहेगा और सम्पूरक सहयोगी के साथ (buddy pair) में ही कार्यवाही करेगा।

5. जिस कमरे की तलाशी हो गयी हो उसमें बाहर से कुंडी लगा दी जाए अथवा एक कर्मी सतर्क दृष्टि रखने हेतु छोड़ दिया जाय।

6. रात्रि के समय दबिश देते वक्त mini flare,dragon light, tactical torch की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

7. दबिश के दौरान बुलेट पूफ़ जैकेट, हेल्मेट व पटका अवश्य धारण किया जाय।

8. दबिश के दौरान घर में मिले हर व्यक्ति को संदिग्ध माना जाय और उसकी तलाशी लेकर उसे अलग निगरानी में रखा जाय।

9. दबिश की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त उस मुहल्ले/गांव से निकलते समय कदापि लापरवाही न बरती जाय।

10. यदि अभिसूचना है कि मुहल्ले/गांव के लोग अपराधी की मदद में बाहर आयेंगें, तो गॉव के पुलिस के मददगार अथवा ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य या प्रधान आदि से पहले ही से सम्पर्क किया जाय तथा उनकी मदद ली जाय। वहां पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लेकर जाया जाय और यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकलने पावें।

11. दबिश में गई पुलिस वाहन पर चालक को कदापि अकेला न छोड़ा जाय। वह आपरेशन कमाण्डर के सम्पर्क में रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर वाहन बुलवाया जा सके।

.....